दिनांक 15.07.2021
प्रेस विज्ञप्ति 15/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बिजनौर/थाना कोतवाली देहात

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 02 लाख 52 हजार रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 15.07.2021 को थाना कोतवाली देहात व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नजीबाबाद तिराहा के पास से चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों 1–पुष्पेन्द्र 2–रोहित 3–अर्जुन 4–चेतनराज उर्फ चिन्टू को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 02 लाख 52 हजार रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त रोहित के विरूद्ध जनपद बिजनौर व उत्तराखण्ड प्रान्त के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग एवं अभियुक्त अर्जुन के विरूद्ध जनपद बिजनौर के विभिन्न थानो में लूट, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट के 03 अभियोग पंजीकृत है। दिनांक 14.06.2021 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 130/2021 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—पुष्पेन्द्र निवासी कस्बा कोटरा थाना नगीना जनपद बिजनौर।

2—रोहित निवासी कस्बा कोटरा थाना नगीना जनपद बिजनौर।

3—अर्जुन निवासी निजोवाली गावडी थाना नगीना बिजनौर।

4—चेतनराज उर्फ चिन्टू निवासी खालाम्पुर थाना हरदुआगंज जनपद अलीगढ़।

<u>बरामदगी</u>

1—लूट के 02 लाख 52 हजार रूपये नगद।

2—03 मोबाइल फोन।

3—घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।

<u>जनपद बरेली/थाना इज्जतनगर</u>

- **04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 26 हजार रूपये नगद**
- **चोरी का बैटरा**
- **03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 06 जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 14.07.2021 को थाना इज्जतनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेन्ट्रल जेल के पास से 04 शातिर अभियुक्तों 1—तनवीर 2—साजिद 3—सलमान 4—इरशाद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 26 हजार रूपये नगद, चोरी का बैटरा, 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 06 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त तनवीर के विरूद्ध जनपद इज्जतनगर के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के 11 अभियोग, अभियुक्त साजिद के विरूद्ध जनपद बरेली के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग, अभियुक्त सलमान के विरूद्ध जनपद बरेली के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग एवं अभियुक्त इरशाद के विरूद्ध लूट, आर्म्स एक्ट के 02 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया, बैटरा जनपद बरेली के विभिन्न थानो में लूट/चोरी की घटनाओ से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना इज्जतनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—तनवीर निवासी पदारथपुर थाना बिथरी चौनपुर जनपद बरेली।

2—साजिद निवासी एजाजनगर गौटिया जगतपुर थाना बारादरी जनपद बरेली।

3—सलमान निवासी खजुरिया घाट थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।

4—इरशाद निवासी मो0 निकट इमामवाडा पदारथपुर थाना विथरी चौनपुर जनपद बरेली।

बरामदगी

1—लूट के 26 हजार रूपये नगद।

2—चोरी का बैटरा।

3—03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 06 जीवित कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि।

जनपद अलीगढ़/थाना दादो

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 15.07.2021 को थाना दादो पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आलमपुर चौराहा नाह रोड से पुरस्कार घोषित अभियुक्त कालीचरण उर्फ भगवती को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जिसके विरूद्ध जनपद अलीगढ़ के विभिन्न थानो में लूट, हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, विद्युत एक्ट आदि के 20 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना दादो पर पंजीकृत मु0अ0सं0 74/2021 धारा 392/411 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना दादो पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कालीचरण उर्फ भगवती निवासी याकूतपुर थाना महुआखेड़ा जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस आदि।

जनपद फिरोजाबाद/थाना नसीरपुर

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 15.07.2021 को थाना नसीरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर केसरी पुलिया के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अजय कुमार को गिरफ्तार किया

गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद के विभिन्न थानो में हत्या, धोखाधड़ी, आबकारी एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना दक्षिण पर पंजीकृत मु0अ0सं0 180/20 धारा 420/467/468/419 भादवि व 60/72 आबकारी अधिनियम व मु0अ0सं0 222/2020 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नसीरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अजय कुमार निवासी रजौरा थाना नसीरपुर जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद आजमगढ़/थाना कोतवाली

- **पुलिस कार्यवाही में 06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 15 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 14.07.2021 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बैठौली पुलिया के पास से चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में 06 अभियुक्तों 1—सुल्तान 2—मिनाहल 3—मो0फरदीन 4—अभिषेक उर्फ गोलू 5—दिलशाद

6–शनि को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 15 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुल्तान निवासी बड़ागाँव थाना घोषी जनपद मऊ।

2–मिनाहल निवासी बड़ागाँव थाना घोषी जनपद मऊ।

3–मो0फरदीन निवासी बड़ागाँव थाना घोषी जनपद मऊ।

4–अभिषेक उर्फ गोलू निवासी बड़ागाँव थाना घोषी जनपद मऊ।

5–दिलशाद निवासी मदापुर थाना घोषी जनपद मऊ।

6–शनि निवासी बंशी बाजार थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया, हालपता रेलवे स्टेशन घोषी के सामने कस्बा घोषी थाना घोषी जनपद मऊ।

बरामदगी

1–चोरी की 15 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

जनपद अलीगढ़/थाना सिविल लाइन

- **04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 14.07.2021 को थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर निर्माणाधीन पुल के नीचे से 04 शातिर अभियुक्तों 1–अनिल 2–अजीत 3–रिंकू 4–अमलेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त अनिल शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद अलीगढ़ के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आदि के 02 दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनिल निवासी बरौठ थाना लोधा जनपद अलीगढ़।

2–अजीत निवासी समेरपुर थाना गभाना जनपद अलीगढ़।

3–रिंकू निवासी दीनौल थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर।

4–अमलेश निवासी ताजपुर रसूलपुर थाना लोधा जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1– चोरी की 06 मोटर साइकिल।

जनपद महराजगंज/थाना बृजमनगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा, 01 जीवित कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 15.07.2021 को थाना बृजमनगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बनगढ़िया चौराहे के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो मोटर साइकिल सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त टिशूल उर्फ वसीम घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–नीतेश 3–प्रदीप कुमार सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त टिशूल उर्फ वसीम शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद महराजगंज के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बृजमनगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–टिशूल उर्फ वसीम निवासी भुंडी थाना नौतनवा जनपद महराजगंज।

2–नीतेश निवासी पिपरामौनी विधायक चौराहा थाना फरेन्दा जनपद महराजगंज।

3–प्रदीप कुमार निवासी पिपरामौनी विधायक चौराहा थाना फरेन्दा जनपद महराजगंज।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा, 01 जीवित कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस–2

- **अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **07 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **10 जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 14.07.2021 को थाना फेस–2 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर 81 मैट्रो स्टेशन के पास से अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले 03 अभियुक्तों 1–रहीसुद्दीन 2–मो0रफी 3–गुरलाल उर्फ दीप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 07 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 10 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना फेस–2 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रहीसुद्दीन निवासी मो0लद्दावाला थाना कोतवाली जनपद मुजफ्फरनगर।

2–मो0रफी निवासी तेवडा थाना ककरौली जनपद मुजफ्फरनगर।

3–गुरलाल उर्फ दीप निवासी शिव चौक कस्बा रामराज थाना महसूमा जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–07 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–10 जीवित कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना अनूपशहर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को मृत्यु दण्ड की सजा व 01 लाख 20 हजार रूपये का अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष न्यायधीश पॉक्सो अधिनियम/अपर सत्र न्यायधीश जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना अनूपशहर पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302/201/376ए, बी भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त हरेन्द्र को मृत्यु दण्ड की सजा व 01 लाख 20 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➢ **<u>जनपद सीतापुर/थाना महोली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन कारावास व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष न्यायधीश पॉक्सो अधिनियम जनपद सीतापुर द्वारा थाना महोली पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 376ए, बी/302/201 भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त राजू को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

—————————